न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 12/2021

प्रार्थीगण –

1. अर्जुन चौधरी पुत्र ठाकराराम
2. दुर्गाराम पुत्र ठाकराराम
   जाति जाट निवासी लोहिड़ा (सिणधरी) तह0 सिणधरी
3. देवाराम पुत्र मूलाराम
4. तेजाराम पुत्र मूलाराम
   जाति जाट निवासी सिणधरी हाल निवासी निम्बली, मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
5. भगवानाराम पुत्र चेतनराम
6. ठाकराराम पुत्र चेतनराम
7. चौखाराम पुत्र चेतनराम
8. जालाराम पुत्र चेतनराम
   जाति जाट निवासी सिणधरी हाल निवासी निम्बली, मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा पं.स. सिणधरी
2. ओमप्रकाश पुत्र देवीदान जाति चारण निवासी सिणधरी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 56 दिनांक 28.02.2014 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरूषोतम सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 प्रफ[illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:50 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 18[illegible]22

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान

पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम सिणधरी चौसीरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 56 दिनांक 28.02.2014 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 220 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित नियम 157(1) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने पदीय कर्तव्यों से परे अप्रार्थी संख्या 2 को फायदा पहुंचाने के लिये आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। प्रार्थी संख्या 1 अर्जुन चौधरी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड मौजा सिणधरी चौसीरा की आबादी भूमि खसरा नंबर 57 की पुरानी आबादी भूमि में मैन मार्केट सरकारी हॉस्पिटल के पास बाड़मेर जोधपुर मुख्य सड़क मार्ग पर आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी सं. 1 [illegible] चला आ रहा है जो प्रार्थी सं. 3 और 4 से जरिये इकरारनामा दिनांक 09.01.2019 को नकद प्रतिफल से खरीद किया है। प्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता मूलाराम के नाम से ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा पट्टा संख्या 226 दिनांक 26.01.1975 को जारी किया गया था तथा मूलाराम के फौत होने के बाद प्रार्थी संख्या 3 व 4 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:50 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा व स्वामित्व रहा जिनसे प्रार्थी संख्या 1 ने प्राप्त किया। इस प्रकार उक्त खरीदशुदा भूखण्ड में प्रार्थी संख्या 1 का सम्पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर सम्पूर्ण भूखण्ड अपना होना बताते हुए आलौच्य पट्टा संख्या 56 दिनांक 28.02.2014 जारी करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त पट्टा से संबंधित जो पत्रावली संधारित की गई उसमें किसी प्रकार की विधिवत कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 ने मौका का भौतिक सत्यापन किये बिना ही आनन–फानन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत कूटरचित रूप से आलौच्य पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्रा.पं. द्वारा नियम 148 के तहत प्रारूप 22 में जो आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया उसे विधिवत रूप से प्रकाशित नहीं कराया गया है इस नोटिस पर मात्र अप्रार्थी सं. 2 के ही हस्ताक्षर अंकित है, जबकि नियमानुसार इस नोटिस की एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर किसी सदृश्य स्थान पर दो व्यक्तियों के रूबरू चस्पा की जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड का गलत रूप से पट्टाधारी करवाने के पश्चात अवैध रूप से लाठी के बल पर कब्जा करने का प्रयास किया गया जिस पर प्रार्थी दुर्गाराम द्वारा पुलिस थाना सिणधरी में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी झूठा प्रकरण दर्ज करवाया जिस पर पुलिस थाना सिणधरी ने मौके पर भारी तनाजा को देखते हुए उक्त परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 2 को निजी लाभ पहुंचाने के आशय से अप्रार्थी संख्या 1 ने आलौच्य पट्टा विधिविरूद्ध जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा खा[illegible]

4. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक[illegible] कि विवादित भूखण्ड ग्राम सिणधरी के खसरा नं[illegible]बादी में अप्रार्थी संख्या 2 के पिता स्वर्गीय देवीदान के स्वामित्व व आधिपत्य [illegible] आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुश्तैनी, निरन्तर एवं निर्बाध कब्जा एवं स्वामित्व चला

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:50 IST
Reason: SelfAttested

आ रहा है। उक्त संपत्ति पर दक्षिण दिशा में 8 दुकानें निर्मित हैं जिनमें विधिवत रूप से विद्युत कनेक्शन लिया जाकर किराये पर दिया गया है। किरायेदारों द्वारा मासिक किराया अदायगी अप्रार्थी संख्या 2 को किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पुराना पुश्तैनी कब्जा होने से ग्रा. पं. सिणधरी चौसीरा द्वारा विधिवत कार्यवाही के तहत आलौच्य पट्टा संख्या 56 दिनांक 28.02.2014 जारी किया गया है। इस हेतु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, निर्धारित शुल्क जमा करवाया, ग्रा. पं. द्वारा पत्रावली दर्ज कर मौका कमेटी का गठन किया गया व आगामी बैठक में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। निरीक्षण रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत हुई जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 का स्वामित्व व कब्जा अंकित था। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस ग्राम पंचायत एवं संबंधित स्थल पर प्रकाशित किया गया। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा शुल्क जमा करने पर आलौच्य पट्टा विधिक रूप से जारी किया गया। निगरानीकर्तागण अप्रार्थी संख्या 2 से जातिगत द्वेष रखते हैं और येनकेन प्रकारेण उक्त विवादित भूखण्ड पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। पूर्व में दिनांक 18.01.1990 को चेतनराम पुत्र दलाराम व मूलाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी निम्बलकोट द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई तथा अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवाजनों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस पर पुलिस थाना सिणधरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई जिसके अनुसंधान में विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 का आधिपत्य माना गया। इसी प्रकार हाल की में दिनांक 22.01.2021 को लगभग 100—200 लोगों के साथ निगरानीकर्तागण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 की संप[illegible]वों के हाथ में हथियार रहे और मौके पर भारी तो[illegible]। अप्रार्थी संख्या 2 के किरायेदार के साथ मा[illegible]न लूट लिया और बाहर फैंक दिया, उक्त घटना का विडियों सुरक्षित है। [illegible]रानीकर्तागण अप्रार्थी संख्या 2 की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं जबकि विवादित भूखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:50 IST
Reason: SelfAttested

का स्वामित्व एवं आधिपत्य अप्रार्थी संख्य 2 में निहित है। निगरानीकर्तागण द्वारा जो तथाकथित पट्टा दिनांक 26.01.1975 को आधार मानकर निगरानी प्रस्तुत की है वह पट्टा अवैध है क्योंकि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को जारी किये जाने का प्रावधान था, जबकि उक्त पट्टाधारी चेतनराम व मूलाराम ग्राम पंचायत सिणधरी के निवासी न होकर ग्राम पंचायत मोतीसरा के राजस्व ग्राम निम्बली के मूल निवासी थे तथा भूमिहीन नहीं थे। इस प्रकार उक्त पट्टे गलत रूप से जारी हुए जो कागजी कार्यवाही तक सीमित रहे एवं मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा। प्रार्थी संख्या 1 ने उक्त तथाकथित पट्टों के आधार पर जरिये इकरारनामा खरीद करना बताया है जबकि इकरारनामा के द्वारा किसी भी अचल संपत्ति में हक–अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं माना जा सकता है। उक्त तथाकथित पट्टों में भूखण्ड के जो नाप व पडौस अंकित किये गये हैं वह विवादित भूखण्ड से किसी भी रूप में मेल नहीं खाते हैं, ऐसे में निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत करने का आधार गलत मनगढत होने से प्रस्तुत निगरानी काबिल खारिज है जो मय खर्चा खारिज करने का आदेश फरमावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 2 को निजी लाभ पहुंचाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त पट्टा से संबंधित जो पत्रावली संधारित की गई उसमें नियम 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने को जो नोटिस जारी किया गया हैं उसका विधिवत रूप से प्रकाशन नहीं कराया गया [illegible] के हस्ताक्षर की जगह नोटिस पर मात्र अप्रार्थी [illegible] अंकित हैं। इसके अलावा स्वंय अप्रार्थी सं. 2 [illegible] मौके पर दुकानें निर्मित हैं तथा किरायेदारी पर दी गई हैं जबकि आलौच्य पट्टा आबादी भूमि में आवासीय कब्जे के नियमितीकरण का जारी किया गया हैं, इससे स्पष्ट हैं कि ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

पंचायत द्वारा आवासीय कब्जे की विधिवत जांच नहीं की गई हैं। जहां मौके पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा था तो उसका विनियमितीकरण नियम 157(1) के तहत नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 160 में विहित प्रावधानों की सम्पूर्ण पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना उक्त आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में इस बिन्दु पर पूर्णतया अवैधता एवं अनियमितता बरती गई हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अवैधता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा द्वारा बैठक दिनांक 28.02.2014 के संकल्प सं. 08 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 56 दिनांक 28.02.2014 को अपास्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:50 IST
Reason: SelfAttested